छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा पंचम सत्र अंक-07

<u>रायपुर, बुधवार, दिनांक 05 मार्च, 2025</u>

(फाल्गुन 14, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न संख्या- 3 (क्रमांक 226) (मंगलवार दिनांक 25 फरवरी, 2025 की प्रश्नोत्तरी का स्थगित तारांकित प्रश्न)

प्रश्नकर्ता सदस्य डॉ. चरणदास महंत ने आसंदी का ध्यान आकर्षित किया कि संबंधित प्रश्न का जवाब मुझे 10 बजे प्राप्त हुआ । इसे हम कैसे पढ़कर समझेंगे एवं प्रश्न करेंगे ? इस पर आसंदी से व्यवस्था आनी चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने भी विचार व्यक्त किये।

2. अध्यक्षीय निर्देश

माननीय अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि मेरे द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 2025 को राजस्व विभाग से संबंधित विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या 03 (क्रमांक 226) का उत्तर प्राप्त नहीं होने के कारण उक्त प्रश्न को विभाग के प्रश्नों से संबंधित आगामी तिथि को प्रथम प्रश्न के रूप में लिए जाने हेतु निर्देश दिए गए थे, परन्तु राजस्व विभाग से उक्त प्रश्न का उत्तर आज सभा की बैठक पूर्व प्राप्त हुआ है, जो अत्यन्त खेदजनक है ।

मैं संसदीय कार्य मंत्री को निर्देशित करता हूं कि सभी विभागों को सूचित करें कि शासन के समस्त विभाग विधान सभा से संबंधित प्रश्नों के उत्तर सर्वोच्च प्राथमिकता पर छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 46(1) की अपेक्षानुसर निर्धारित समय पर देना सुनिश्चित करें।

(माननीय अध्यक्ष ने राजस्व विभाग के प्रश्नों हेतु आगामी नियत तिथि को प्रथम प्रश्न के रूप में उक्त प्रश्न को लिये जाने के निर्देश दिये।)

3. प्रश्नकाल (क्रमशः)

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09 (कुल 07) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

तारांकित प्रश्न संख्या क्रमश: 03 एवं 04 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमश: श्री इन्द्र साव एवं श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 55 तारांकित एवं 75 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

4. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- आज भोजन अवकाश नहीं होगा। भोजन की व्यवस्था माननीय मंत्री श्री केदार कश्यप द्वारा की गयी है। माननीय सदस्यों के लिये लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गयी है । कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री श्याम बिहारी जायसवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार :-

(i) अधिसूचना क्रमांक 107/सी.एस.ई.आर.सी./2024, दिनांक 06 मई, 2024, द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण और संबंधित विषय वस्तु की निबंधन एवं शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2024,

(ii) अधिसूचना क्रमांक 108/सी.एस.ई.आर.सी./2024, दिनांक 02 अगस्त, 2024, द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण निष्पादन हेतु मानक) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2024 तथा

(iii) अधिसूचना क्रमांक 109/सी.एस.ई.आर.सी./2024, दिनांक 29 जुलाई, 2024, द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत आपूर्ति संहिता (चतुर्थ संशोधन), 2024,

(2) श्री श्याम बिहारी जायसवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024 तथा

(3) श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-झ के खण्ड (4) तथा अनुच्छेद 243-म के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन (2025-30) एवं उस पर कृत कार्यवाही प्रतिवेदन,

पटल पर रखे।

6. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह, सदस्य ने प्रदेश के शासकीय सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़ में सिकलसेल मरीजों को भर्ती कर इलाज की सुविधा नहीं होने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, सदस्य ने शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधित विद्यालय आड़ावाल, जगदलपुर के बच्चों को गुणवत्ताहीन भोजन वितरण किये जाने की ओर समाज कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, समाज कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

7. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री अजय चन्द्राकर

(2) श्री बघेल लखेश्वर

(3) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

(4) श्री जनक ध्रुव

(5) श्री धरमलाल कौशिक

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिका सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री ललित चन्द्राकर

(2) श्री इन्द्रशाह मण्डावी

(3) श्री दलेश्वर साहू

(4) श्री संदीप साहू

(5) श्री उमेश पटेल

(6) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह

(7) श्री गुरु खुशवंत साहेब

(8) श्रीमती रायमुनी भगत

9. वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

श्री किरण देव,

सभापति महोदय (सुश्री लता उसेण्डी) पीठासीन हुए।)

श्रीमती संगीता सिन्हा, सर्वश्री सुनील सोनी, रामकुमार यादव

सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

श्रीमती भावना बोहरा, श्री द्वारिकाधीश यादव

सभापति महोदय (सुश्री लता उसेण्डी) पीठासीन हुए।)

श्रीमती गोमती साय, श्री देवेन्द्र यादव

सभापति महोदय (श्री लखेश्वर बघेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री अजय चन्द्राकर, कुंवर सिंह निषाद, धर्मजीत सिंह, भूपेश बघेल

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष,

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से आज की कार्य-सूची के पद-क्रम 05 का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की घोषणा की ।)

श्री ओ.पी.चौधरी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

सायं 6.57 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 06 मार्च, 2025 (फाल्गुन-15, शक संवत् 1946) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा